आगरा विकास प्राधिकरण

जयपुर हाउस, आगरा।

निविदा सूचना सं0–........../वि./यां./20–21 दिनांक : ....

ई–निविदा सूचना

आगरा विकास प्राधिकरण में विद्युत/यांत्रिक खण्ड में पंजीकृत फर्मों/ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्यों हेतु ई–निविदा आमंत्रित की जाती हैं :–

क्र. सं.	कार्य का नाम	बी.ओ. क्यू. धनराशि (रू0 लाख में)	धरोहर धनराशि (रू0 में)	निविदा मूल्य समस्त करों सहित (रू0 में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	पात्र श्रेणी	खण्ड का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आगरा इनर रिंग रोड के द्वितीय भाग (फतेहाबाद रोड से शमशाबाद रोड तक) में पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य (पार्ट–ए)।	322.76	6,45,600/-	5600/-	12 माह	ए	वि./यां.
2	आगरा इनर रिंग रोड के द्वितीय भाग (फतेहाबाद रोड से शमशाबाद रोड तक) में पथ प्रकाश व्यवस्था हेतु 11 के.वी. अण्डरग्राउण्ड फीडर का निर्माण कार्य (पार्ट–ए)।	238.01	4,76,100/-	5600/-	12 माह	ए	वि./यां.

- उक्त कार्यों की निविदा दिनांक 25.11.2020 को आमंत्रित की जाती है। यह निविदा दि0 09.11.2020 से 24.11.2020 के अपरान्ह् 3:00 बजे तक ई–निविदा पोर्टल www.etender.up.nic.in पर डाउनलोड/अपलोड की जा सकती है।
- निविदा संबंधी विस्तृत शर्ते एवं अन्य विवरण प्राधिकरण की बेवसाइट www.adaagra.in पर देखी जा सकती है।

नियम व शर्ते:–

1. उक्त कार्यों की निविदा दिनांक 25.11.2020 को आमंत्रित की जाती है, जो कि उसी दिन अपरान्ह् 12:30 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी।
2. निविदा दिनांक 09.11.2020 के अपरान्ह् 12:30 बजे से दिनांक 24.11.2020 के अपरान्ह् 3:00 बजे तक ई–निविदा पोर्टल www. etender.up.nic.in पर डाउनलोड/अपलोड की जा सकती है।
3. (क) वांछित धरोहर धनराशि RTGS/NEFT के माध्यम से निविदा तिथि से एक दिन पूर्व तक प्राधिकरण खाता संख्या–540002010106535 (बैंक का नाम/पता–यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, ए.डी.ए. ब्रान्च जयपुर हाउस, आगरा) IFSC CODE UBIN0554006 में जमा करना अनिवार्य होगा तथा इसके साक्ष्य के रूप में RTGS/NEFT के माध्यम से जमा की गयी धरोहर धनराशि के यू.टी.आर. नंबर का विवरण भी निविदा के साथ अपलोड कराया जाना आवश्यक है अन्यथा की दशा में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
   (ख) धरोहर धनराशि एफ.डी.आर./एन.एस.सी. के माध्यम से जमा की जा सकती है। राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ.डी.आर. अथवा एन.एस.सी. के माध्यम से, जो कि अधिशासी अभियन्ता के पक्ष में बंधक की गयी हो, निविदा से एक दिन पूर्व अधिशासी अभियन्ता कार्यालय में 3:30 बजे तक जमा करना अनिवार्य होगा तथा धरोहर धनराशि की छायाप्रति/स्कैन प्रति निविदा के साथ अपलोड करना होगा अन्यथा की दशा में निविदा मान्य न होगी।
4. निविदा अपलोड करने से पूर्व निविदादाता स्थल निरीक्षण कर कार्य सम्पादन की परिस्थितियों का आंकलन अवश्य कर लें। समस्त शंकाओं का समाधान सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता से कर लें। निविदा अपलोड करने के उपरान्त् निविदादाता का कोई अन्य पक्ष मान्य न होगा। सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
5. प्राधिकरण में पंजीकृत ठेकेदारों को अपनी श्रेणी के अलावा एक श्रेणी निम्न तक भी निविदा डालने का अधिकार होगा।
6. विशिष्ट श्रेणी के कार्यों के अन्तर्गत प्रश्नगत् कार्य में दक्ष निविदादाता/फर्म द्वारा भाग लिया जा सकता है। इन कार्यों हेतु प्राधिकरण में पंजीकरण की बाध्यता न होगी। सफल निविदादाता को पंजीकरण की औपचारिकता पूर्ण करनी होगी।
7. निविदा की दरें शब्दों एवं अंकों में स्पष्ट रूप से अंकित करनी होगी।
8. निविदा की दरें कार्य की लागत से निम्न होने की दशा में लोक निर्माण विभाग के शासनादेश संख्या–622/23–12–2012–2 ऑडिट/08 टी.सी. 2, दिनांक 08 जून, 2012 के अनुसार वांछित परफोरमेन्स गारन्टी अनुबन्ध से पूर्व देय होगी।
9. सभी निविदादाताओं को आयकर, श्रम विभाग, जी.एस.टी. एवं अन्य कोई विभाग (जहाँ कोई टैक्स देय हो) में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
10. विद्युत सम्बन्धी कार्य विद्युत सुरक्षा निदेशालय से प्राप्त न्यूनतम 'क' श्रेणी लाइसेंस धारकों द्वारा उ.प्र. पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड/टोरण्ट पॉवर लिमिटेड की विशिष्टियों के अनुरूप तथा सिविल कार्य उ.प्र. लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों के अनुरूप कराये जाने होगें।

क्रमशः..

Scanned with CamScanner

11. स्ट्रीट लाईट तथा ट्रांसफार्मर से सम्बन्धित कार्यों की ज़मानत धनराशि उनके वारंटी अवधि (05 वर्ष) के लिए जमा करानी होगी।
12. रू0 40.00 लाख से अधिक धनराशि व विशिष्ट श्रेणी के कार्यों में टू बिड सिस्टम के अन्तर्गत निविदायें आमंत्रित होगी। तकनीकी बिड में सफल निविदादाताओं की ही वित्तीय बिड खोली जाएगी।
13. निविदादाताओं से अपेक्षा की जाती है कि अपना बैंक एकाउन्ट संख्या एवं आई.एफ.एस.सी. कोड का उल्लेख कर दें ताकि असफल निविदादाताओं की धरोहर धनराशि उनके बैंक एकाउन्ट में हस्तानान्तरित की जा सके।
14. जिन ठेकेदारों द्वारा चालू वित्तीय वर्ष हेतु नवीनीकरण/पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया है, वह निविदाओं में भाग लेने हेतु अनुमन्य न होगें व उनकी निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।
15. निविदादाता कम्पनी के निदेशक या फर्म के पार्टनर को इस आशय का शपथ–पत्र देना होगा कि प्रश्नगत् निविदा प्रक्रिया में भागीदार अन्य किसी फर्म या कम्पनी में न तो वह स्वयं पार्टनर है न ही निदेशक है तथा उसका कोई निकटतम सम्बन्ध जैसे–पिता, माता, पुत्र, पुत्री पत्नी एवं भाई आदि भी प्रश्नगत् निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाली अन्य किसी फर्म में पार्टनर नहीं है अथवा प्रश्नगत् निविदा प्रक्रिया में भागीदार अन्य किसी कम्पनी में निदेशक नहीं है।
16. निविदा के साथ रू0 100/– का स्टाम्प पेपर एवं रू 02/– का रसीदी टिकट अपलोड करना होगा।
17. समस्त प्रकार के कार्यो (विशिष्ट श्रेणी/विद्युत सम्बन्धी कार्यो) में समान प्रकृति के कार्यो का अनुभव रखने वाली फर्म द्वारा ही निविदा में प्रतिभाग किया जा सकेगा।
18. निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकारी निर्विवाद रूप से उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, में निहित होगा, जिसको किसी भी न्यायालय में चुनौती नही दी जा सकेंगी।

अधिशासी अभियन्ता
(वि0/यां0)

पत्रांक : 11 /डी/ई.ई.(ई.)/20–21, दिनांक : 28/10/2020

प्रतिलिपि:–

1. उपाध्यक्ष महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
2. सचिव/वित्त नियन्त्रक महोदय को सूचनार्थ।
3. जनसम्पर्क अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया इसे वेबसाइट एवं दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करायें।
4. नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

अधिशासी अभियन्ता
(वि0/यां0)

Scanned with CamScanner